In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols "(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government", the words and symbols, "(c) food inputs for (a) above." shall be inserted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 40/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1311(E), dated the 18th October, 2017.and was last amended *vide* notification No. 11/2021 – Integrated Tax (Rate), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 701(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 04/2025- केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 59(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "6%" के स्थान पर, प्रविष्टि "9%" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 8/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 04/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 59(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2018-Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3,sub-section (i) *vide* number G.S.R. 82(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 4, in column (4), for the entry "6%", the entry "9%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 8/2018-Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 82(E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 04/2025- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 60(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि “6%” के स्थान पर, प्रविष्टि “9%” प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 8/2018-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 04/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 60(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendation of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3,sub-section (i), *vide* number G.S.R. 90(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 4, in column (4), for the entry “6%”, the entry “9%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 8/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 90(E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 04/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 61(अ).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि ”12%” के स्थान पर, प्रविष्टि “18%” प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 9/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 862(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 04/2025-Intergrated Tax (Rate)

G.S.R. 61(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendation of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 9/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3,sub-section (i), *vide* number G.S.R. 86(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 4, in column (4), for the entry “12%”, the entry “18%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 9/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 86(E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 01/2025-प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 62(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, निर्यात के लिए एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर लगने योग्य वस्तुओं (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिनियम में उक्त वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) पर, राज्य के भीतर आपूर्ति पर माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 के तहत इन पर लगने वाले प्रतिकर जो 0.1 प्रतिशत की दर से गणना की गयी राशि से अधिक है, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एटतदवर छूट प्रदान करता है, नामतः

(i) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत प्राप्तकर्ता को टैक्स इनवॉइस पर वस्तुओं की आपूर्ति करेगा;

(ii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा टैक्स इनवॉइस जारी करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर उक्त सामान का निर्यात करेगा;

(iii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की माल एवं सेवा कर की पहचान संख्या एवं उक्त वस्तुओं के सम्बंध में पंजिकिरत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी टैक्स इन्वॉस संख्या, शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो में दर्शाएगा;

(iv) पंजीकृत प्राप्तकर्ता का निर्यात संवर्धन परिषद अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मद सम्बन्धी बोर्ड द्वारा पंजीकरण किया जाएगा;

(v) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, रियायती दर पर वस्तुएँ ख़रीदने के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को आदेश जारी करेगा तथा इसकी एक प्रति पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

(vi) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के स्थान से उक्त वस्तुओं को सीधे –

(क) बंदरगाह, इनलंद कंटेनर डीपो, हवाई अड्डा अथवा लैंड कस्टम्ज़ स्टेशन पर जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, ले जाएगा; या

(ख) किसी पंजीकृत वेयर हाउस पर जहां से उक्त वस्तुओं को बंदरगाह, इनलंद कंटेनर डीपो, हवाई अड्डा अथवा लैंड कस्टम्ज़ स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है।

(vii) यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता, कई पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हुई आपूर्ति को समेकित करके फिर निर्यात करना चाहता है तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की वस्तुएँ, पंजीकृत वेयर हाउस को भिजवाई जाएगी तथा समेकन के पश्चात पंजीकृत प्राप्तकर्ता वस्तुओं को बंदरगाह, इनलंद कंटेनर डीपो, हवाई अड्डा अथवा लैंड कस्टम्ज़ स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उनका निर्यात किया जाएगा;